

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.6(27) 05-06 / लेखा / प्रमुवसं / 4725

दिनांक 5-9-12

कार्यालय आदेश

सामान्य वित्तीय लेखा नियम 3(क)(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत कॉलम सं. 2 में अंकित कार्यालयों को प्रदत्त कार्यालय अध्यक्षों को दी गई समस्त शक्तियों को withdraw कर कॉलम सं. 3 में अंकित नाम परिवर्तित होने के फलस्वरूप कॉलम सं. 3 में अंकित सभी नवीन कार्यालयाध्यक्षों को सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाता है। उक्त कार्यालयाध्यक्ष वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन कार्यालयाध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

उक्त कार्यालयाध्यक्ष विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्य की पालना करेंगे:-


1. कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों संबंधी बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना।
2. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों में से किए गए भुगतानों का लेखा रखना तथा वैध रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाणस्वरूप उसे अनुप्रमाणित करना।
3. रोकड पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख, विशेष रूप से बिलों के भुनाने पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिम का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजनों का रजिस्टर, दुर्विनियोग का रजिस्टर आदि, चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी आर्डर्स आदि की प्राप्ति, निपटान को दर्शित करने वाला रजिस्टर, आदि एवं पोस्टल मनी आर्डर्स/ड्राफ्ट्स द्वारा किए गए भुगतानों का रजिस्टर रखना तथा संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना।
4. वित्तीय नियमों, आदेशों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना।
5. सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अस्थायी अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किए गए अतिशेष (बैलन्स) की वसूली को सुनिश्चित करना तथा उन पर इन नियमों में यथा-उपबंधित कार्यवाही करना, एवं
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना।

क्र.सं	वर्तमान कार्यालय का नाम	परिवर्तित पदनाम मय कार्यालय
1	2	3
1	भू-संरक्षण अधिकारी, दांतीवाड़ा, आबू रोड	उप वन संरक्षक (परियोजना), आबू रोड
2	मण्डल वन अधिकारी, अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर
3	उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अलवर
4	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर	उप वन संरक्षक, अलवर
5	मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा
6	भू-संरक्षण अधिकारी, कड़ाना, बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक (परियोजना), बांसवाड़ा
7	मण्डल वन अधिकारी, बारां	उप वन संरक्षक, बारां
8	भू-संरक्षण अधिकारी, चंबल, बेगू	उप वन संरक्षक (परियोजना), बेगू
9	मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर
10	उप वन संरक्षक, स्टेज-II, खण्ड-II, बीकानेर	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज-II, बीकानेर
11	उप वन संरक्षक, स्टेज-II, खण्ड-I, बीकानेर	उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज-II, बीकानेर
12	मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर	उप वन संरक्षक, बीकानेर
13	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	उप वन संरक्षक, बूंदी

ACF(17)
7/9/12
u/s
ACF(17) 2/14/12
श्री कानेर

14	उप वन संरक्षक, छतरगढ़	उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज-I, छतरगढ़
15	मण्डल वन अधिकारी, चित्तोड़गढ़	उप वन संरक्षक, चित्तोड़गढ़
16	उप वन संरक्षक, मरु विकास कार्यक्रम, चूरु	उप वन संरक्षक, चूरु
17	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी दौसा	उप वन संरक्षक, दौसा
18	उप वन संरक्षक, एवं प्रावैधिक सहायक, (मुख्यालय), जयपुर	उप वन संरक्षक, एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
19	उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जयपुर
20	उप वन संरक्षक, जयपुर (दक्षिण)	उप वन संरक्षक, जयपुर
21	उप वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर	उप वन संरक्षक, अनुसंधान, जयपुर
22	उप वन संरक्षक, मरु विकास कार्यक्रम, जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर
23	उप वन संरक्षक, ओई.ओ.सी.एफ. मोहनगढ़ जैसलमेर	उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज-I, जैसलमेर
24	मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़	उप वन संरक्षक, झालावाड़
25	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर	उप वन संरक्षक, जोधपुर
26	उप वन संरक्षक, भू-संरक्षण, करौली	उप वन संरक्षक, करौली
27	मण्डल वन अधिकारी, कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा
28	उप वन संरक्षक, मरु विकास कार्यक्रम, नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर
29	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी राजसमन्द	उप वन संरक्षक, राजसमन्द
30	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, सवाई माधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर
31	उप वन संरक्षक, मरु विकास कार्यक्रम, सीकर	उप वन संरक्षक, सीकर
32	मण्डल वन अधिकारी, सिरोही	उप वन संरक्षक, सिरोही
33	मण्डल वन अधिकारी, टोंक	उप वन संरक्षक, टोंक
34	भू-संरक्षण अधिकारी, बनास, टोंक	उप वन संरक्षक, (परियोजना), टोंक
35	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	उप वन संरक्षक, उदयपुर


उक्त आदेश अतिरिक्तत मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प 12 (3)वन/11 दिनांक 11.7.12 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) द्वारा प्रेषित यू0ओ0 नोट दिनांक 16.7.12 व 14.8.12 के क्रम में जारी किये जाते हैं।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(हेड ऑफ फोरेस्ट फोर्स),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक समसंख्यक/ 4726-855 दिनांक 5-9-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं), राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी कार्यालय, सम्बन्धित।
3. प्रबन्धक एस.बी.वी.जे. / एस.बी.आई. सम्बन्धित।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सम्बन्धित।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सम्बन्धित।
6. मुख्य वन संरक्षक, सम्बन्धित।
7. उप वन संरक्षक, सम्बन्धित।
8. रक्षित पत्रावली।

cc:IT F


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(हेड ऑफ फोरेस्ट फोर्स),
राजस्थान, जयपुर